96

दि० 11/12 10-12-14

पत्रांक – 600

कार्यालय नगर पंचायत खुसरूपुर

प्रेषक :– नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर ।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार ।

खुसरूपुर / दिनांक –

विषय :– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 – 444, ~~2008 – 09~~ 2012-13 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

S.O. 7

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि नगर पंचायत खुसरूपुर के वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर

6/10
265
22/12/14

कार्यालय नगर पंचायत, खुसरुपुर

पत्रांक **537** दिनांक **28/09/2013.**

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत, खुसरूपुर।

पटना।

सेवा मे,

लेखा परिक्षा अधिकारी,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा)

सामाजिक प्रक्षेत्र-।, स्थानीय लेखा परिक्षा शाखा,

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः- 2008-09 से **2011-12 तक का लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुपालन के संबंध में ।**

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1-22/2013-80 दिनांक 28.06.2013 के अनुपालन में कहना है कि उपरोक्त प्रतिवेदनों पर उठायी गई आपत्तियों पर निकाय बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के उपरांत अनुपालन का प्रतिवेदन अपर जिला दणडाधिकारी, विशेष कार्यक्रम-सह-वरीय प्रभारी निरिक्षण-सह-आंकेक्षण कोषांग एवं आपको इस कार्यालय के पत्रांक 344 दिनांक 13.07.2013 दवारा भेजा जा चुका है।

पुनः इसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतू भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, खुसरूपुर।

नगर पंचायत खुसरूपुर

(94)

नगर पंचायत खुसरूपुर के वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परिक्षा प्रतिवेदन सं0 444/~~2008-09~~ 2012-13 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं0	आपत्ति की कंडिका	आपत्ति	निकाय द्वारा अनुपालन की स्थिति	अंकेक्षण दल की अभियुक्ति	महालेखाकार कार्यालय की अभियुक्ति
1.	6	(i) (क) पी0 एल0 खाता	पी0 एल0 खाता को अद्यतन करा लिया गया है। जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
		(i) (ख) पी0 एल0 खाता रोकड़ बही एवं पासबुक में अंतर	स्थानीय स्तर पर टैक्स मद में वसूल की गई राशि का ब्यौरा रोकड़ बही में जमा(In Hand) था। जिसे बैंक में जमा कर दिया गया है। जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
		(i) रोकड़ बही में त्रुटियाँ	निकाय में लेखा कार्य में कोई निपुण लेखापाल नहीं है, फलस्वरूप आंकेक्षणदल द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर रकने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	7	आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं।	आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	8	अनुदान	निकाय में लेखा कार्य में कोई निपुण लेखापाल नहीं है, फलस्वरूप आंकेक्षणदल द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर रकने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		

		माग एव वसूली (क)गृह कर	... गए सुझाव के अनुसार मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण प्रारंभ किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
		(ख)खतरनाक एवं व्यावह व्यापार की कम वसूली	Tax collector's की कमी के कारण पूर्ण दक्षता से कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
		(ग) फूड एवं अलट्रेशन में कम वसूली	Tax collector's की कमी के कारण पूर्ण दक्षता से कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	10	शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का संबंधित विभाग के खाते में जमा नहीं किया जाना।	सरकार से दिशा निर्देश की मॉग की गई है तदानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 01.04.2013 से सरकार के निर्देशानुसार दोनों करों को समेकित वसूली की जा रही है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	11	अंकेक्षण के दौरान होल्डिंग टैक्स की जमा नहीं	सभी राशियॉ नगर पंचायत के खाता में जमा करा दी गई है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	12	मोबाइल टावर शुल्क की राशि की वसूली नहीं होना	माननीय उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा है। निर्णय आने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	13	वैट की राशि की कटौती नहीं	टेम्पू की राशि 2,83,000 एवं (12.5%) टैक्स की राशि 35,375 है। अतएव टेम्पू की कुल राशि टैक्स सहित 3,18,375 है। जो की अंकेक्षण दल द्वारा टेम्पू		

			की राशि 3,18,575 रु0 दर्शायी गई थी। यह राशि टैक्स सहित थी। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	14	योजनाओं की भौतिक स्थिति	सभी योजनाएँ पूर्ण करा ली गई है। आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	15	योजनाओं को क्षतिपूर्ति की राशि की कटौती नहीं होना	यह कार्य स्थल मुख्य मार्ग पर होने के कारण एवं शादी विवाह की अवधि होने के कारण स्थानीय नागरिकों द्वारा 1 माह की अवधि में वृद्धि की मॉग की गई, एवं संवेदक द्वारा भी नागरिकों के विरोध को दर्शाते हुए 1 माह का समय कार्यालय से मॉगा गया, जिसे कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया, अत: कार्य योजना में कोई विलंब नहीं हुआ। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	16	**योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर किया जाना**	अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप सभी कार्य निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	17	दैनिक मजदूरी पर भुगतान	विदित हो कि नगर निकाय स्वायत शासी संस्था है जो नगर विकास के संकल्प के अनुसार अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। कंडिका 18 पर दिए गए कर्मचारी बल देखने से स्वत: स्पष्ट होगा कि 3 सफाई मजदूरों से पूरे शहर की सफाई कराना संभव नहीं है।		

			अतएव नगरपालिका बोर्ड अपने प्रारंभिक दायित्व की पूर्ति हेतू मानदेय पर सफाई मजदूरों को रखकर सफाई कार्य कराया है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	18	कर्मचारी बल की कमी	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस हेतू पत्राचार किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	19	अग्रिम	सुझाव के अनुसार अग्रिम पंजी संधारित किया जा रहा, आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		
	20,21,22	निष्फल व्यय	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जाए।		

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर
(पटना)

190

कार्यालय नगर पंचायत खुसरूपुर (पटना)

पत्रांक 354 / दिनांक13 / 07 / 13 /

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर
पटना

सेवा में,

अपर जिला दण्डाधिकारी
विशेष कार्यक्रम सह वरीय
प्रभारी निरीक्षण सह अंकेक्षण
कोषांग,पटना

विषयः— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 444 / 12–13 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः— पत्रांक 1–22 / 2013–80 / दिनांक 28.06.13

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त वर्ष 2011–12 में अंकेक्षण दल द्वारा नगर पंचायत, बख्तियारपुर के **अकेक्षण किये जाने के पश्चात् अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 444 / 12–13** में उठाई गई आपत्तियों पर निकाय वोर्ड की बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया एवं असतोष व्यक्त किया गया कि आंकेक्षण दल को 74 वें संविधान संशोधन एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में शहरी नगर निकाय की स्वायतशासी संवैधानिक आस्तित्व का व्यौरा उपलब्ध कराने के उपरान्त भी पूर्णतः सरकारी नियमो के आलोक में अपना प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि आकेक्षण दल से अनुरोध किया गया था कि नगर निकाय हेतु 74 वें संशोधन के तहत किए गए **उपबंधो के तहत आकेक्षण किया जाय।**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 74 वें संशोधन एवं सरकारी **संकल्पो के आलोक में समीक्षा** करते हुए अनुपालन की स्थिति पर विचार करते हुए कण्डिकाओं को विलोपित करने **की कृपा की जाय।**

अनु0:— नगर विकास का संकल्प

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर
पटना

ज्ञापांक 354 / दिनांक 13.7.13 /

प्रतिलिपिः— वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय सोशल सेक्टर –1 बिहार पटना, उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यावाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,
खुसरूपुर